न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
006/2022(रसद) **(GCMS 2022/132)**	**13.05.2022**	**07.09.2022**

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

बलवंतसिंह पिता छोटू सिंह मीणा निवासी बेरा, रायला जिला भीलवाडा (मोबाईल 8290578064)

विपक्षी

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार
गुलशेर अली अधिवक्ता विपख्क्षी

<u>प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित MS & HSD ऑर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्</u>

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित **<u>MS & HSD</u>** ऑर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 23.03.2022 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना के अनुसार गंगरार नेशनल हाई–वे 79 विजय लक्ष्मी होटल के पास एक पेट्रोलियम पदार्थ का टेंकर डिटेन कर रखा है। उक्त सूचना के आधार पर आवेदक प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी मय हनु इन्द्र सिंह राणावत, प्रवर्तन निरीक्षक (प्रशिक्षुक) मौके पर पहुॅचें। जहॉ पर थाना गंगरार का पुलिस जाप्ता स.उ.नि. घुडाराम मय जाप्ता माधवलाल कानि 327, गणपत लाल 1184 मय वाहन जीप सरकारी के मौजूद मिले। जहॉ पर एक टेंकर आरजे 06 जीबी 9898 खडा पाया गया। टेंकर के चालक बलवंतसिंह पिता छोटू सिंह से पूछताछ कर बयान लिये गये तो बयान में बलवंत सिंह द्वारा बताया गया कि टेंकर में ऑयल भरा हुआ है जो प्रतापगढ के पास से भरकर भीलवाडा जितेन्द्र शर्मा के यहॉ खाली करना बताया। चालक बलवंतसिंह ने बताया कि उक्त टेंकर मेरे पिता छोटूसिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। टेंकर का भौतिक सत्यापन किया तो टेंक में चार खंड होकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डायमण्ड सील लगी हुई थी। जिसको हटाकर देखा तो चारो खण्डों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया। खण्डों में भरे पेट्रोलियम पदार्थ का गेज से मापन किया तो प्रत्येक खण्ड में पांच हजार लीटर भरा होकर कुल 20 हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। चालक बलवंत सिंह द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ का परिवहन, भण्डारण/व्यापार के संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जरिये फर्द जप्ती तैयार कर टेंकर नंबर आरजे 06 जीबी 9898 मय 20 हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ बलवंतसिंह के कब्जे से जब्त किया गया तथा उक्त टेंकर मय पेट्रोलियम पदार्थ गंगरार थाने की सुपुर्द में खडा करवाया गया। टेंकर में चारों खण्डों में समानुपात में पदार्थ निकाल कर नमूना सेम्पल **A-1, A-2, A-3** लिया गया। सेम्पल **A-1** वास्ते जांच हेतु थाना गंगरार की सुपुर्दगी में दिया गया। टेंकर चालक बलवंत सिंह पिता छोटू सिंह कानावत जाति राजपूत निवासी बेरा पुलिस थाना रायला जिला भीलवाडा मोबाईल 8290578064 नव्या एन्टरप्राईजेज सुभाष नगर भीलवाडा, साक्षी एन्टरप्राईजेज रेबारियों की ढाणी जो की ई वे बिल में दर्ज है का कृत्य मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम आदेश 2005 के खण्ड 3(5) सपठित खण्ड 4 के तहत) एवं सोलवेन्ट रेफिनेट एण्ड स्लोब ऑर्डर 2005 का स्पष्ट उल्लंघन है। अन्त में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 20000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात कराने की कृपा करावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 10.08.2022 को विपक्षी की और से अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 07.09.2022 को हाजिर अधिवक्ता गुलशेर अली ने किसी भी प्रकार से लिखित अभिवचन प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस पत्रावली का निवेदन किया।

इस पर पत्रावली को उभयपक्ष की सहमति से वास्ते बहस नियत किया गया। इस पर हाजिर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि विपक्षी का उक्त प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं है यदि जब्तशुदा डीजल पदार्थ को कब्जे राज लिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर चिंतन–मनन किया। विपक्षी द्वारा डीजल पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया एवं जब्तशुदा डीजल पदार्थ को कब्जे राज लिये जाने के संबंध में विपक्षी को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में डीजल भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से अभिग्रहित 20000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने योग्य हैं। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टेंकर रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 06 GB 9898** न्यायालय के दीगर प्रकरण संख्या 113/2022 (रे.वि.) निर्णय दिनांक 07.09.2022 अनवानी बलवंत सिंह बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 में न्यायालय आदेश से वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को रूपये **25,00,000/-** अक्षरे पच्चीस लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये गये है। ऐसी स्थिति में पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 075/2022 दिनांक 24.03.2022 में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं एवं पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 075/2022 दिनांक 24.03.2022 में अभिग्रहित 20000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त अभिग्रहित बीस हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ थानाधिकारी, पुलिस थाना गंगरार से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **07.09.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़